पत्र सं0–15/डी0एल0ए0 समस्तीपुर (प्र0सह अंचल कार्या)–199/2013–2936/रा0,पटना–15, दि0–16/12/2013

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

सं0.. डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर दिनांक..............................

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–साहिट, परगना–बालागाछ, राजस्व थाना–दलसिंहसराय, थाना नं0–90, अंचल–विद्यापतिनगर, जिला–समस्तीपुर अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् विद्यापतिनगर प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर भूमि का ग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा घोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम–साहिट के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वो वेश रकवा **4.08** एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं0 अंश 950/4487, 1140 एवं 1139 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार हैः–

उत्तर :– अंश खेसरा सं0 4487, 1140 एवं 1139 तथा पूर्ण खेसरा सं0 1141

दक्षिण :– अंश खेसरा सं0 1140 तथा पूर्ण खेसरा सं0 950 एवं 1138

पूरब :– अंश खेसरा सं0 1140 एवं वर्तमान पथ खेसरा सं0 1143

पश्चिम :– अंश खेसरा सं0 4487

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा स्लेट या अन्य खनिजों के खानों और खनिजों के नाम व काम जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है इसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ये किये जाएँगे।

यह अधिघोषणा अधिनियम 1, 1884 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन (तथा बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

02/9/13 3/9/2013

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी
समस्तीपुर।
2-9-13

अपर समाहर्त्ता,
समस्तीपुर।

समाहर्त्ता
समस्तीपुर।

सरकार के अवर सचिव

P.T.O

– 2936 /रा०
ज्ञापांक ..../डी० एल० ए० समस्तीपुर पटना   दिनांक – 16 – 12 – 13

प्रतिलिपिः– (1) निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को घोषणा के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरन जिला भू–अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें।

(2) समाहर्त्ता, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को घोषणा के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अलगे असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।

(4) आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

(5) जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर/दलसिंहसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु० :– यथोक्त।

16/12/13

सरकार के अवर सचिव